न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1198/2024

अनवान : –

1. अमरसिंह पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. रामसिंह उर्फ रामरख पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी फेफाना हाल मिठनपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**

पैरोकार राज

निर्णय दिनांकः -01/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एव प्रतिवादीगण की कृषि भूमि रोही मोजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 11 के कुल खसरे 64 का कुल क्षेत्रफल 13.3210 है0 भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि वादी के नाम व 1/12 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं।

रोही मोजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 11 के कुल खसरे 64 का कुल क्षेत्रफल 13.3210 है0 भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि वादी के नाम व 1/12 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है वादी व प्रतिवादी संख्या 2 जो की भाई है एक पारिवारिक समझौता हुआ है जिसके मुताबिक उपरोक्त भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 अपने हक व हिस्सा की भूमि वादी के पक्ष में परित्याग कर चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी हक रस्सी अन्य भूमि में प्राप्त कर ली है बाद पारिवारीक समझौता रोही मोजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 11 के कुल खसरे 64 का कुल क्षेत्रफल 13.3210 है0 भूमि पर वादी काबिज है। वादी जिसकी घोषणा न्यायालय से करवाकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने का अधिकारी है यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद [illegible] की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के [illegible] में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:25:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि रोही मोजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 11 के कुल खसरे 64 का कुल क्षेत्रफल 13.3210 है0 भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि वादी के नाम व 1/12 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है वादी व प्रतिवादी संख्या 2 जो की भाई है एक पारिवारिक समझौता हुआ है जिसके मुताबिक उपरोक्त भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 अपने हक व हिस्सा की भूमि वादी के पक्ष में परित्याग कर चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी हक रस्सी अन्य भूमि में प्राप्त कर ली है बाद पारिवारीक समझौता रोही मोजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 11 के कुल खसरे 64 का कुल क्षेत्रफल 13.3210 है0 भूमि पर वादी काबिज है। प्रतिवादी स0 1 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 11 के कुल खसरे 64 का कुल क्षेत्रफल 13.3210 है0 भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि वादी के नाम व 1/12 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी का कथन है कि रोही मोजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 11 के कुल खसरे 64 का कुल क्षेत्रफल 13.3210 है0 भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि वादी के नाम व 1/12 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है वादी व प्रतिवादी संख्या 2 जो की भाई है एक पारिवारिक समझौता हुआ है जिसके मुताबिक उपरोक्त भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 अपने हक व हिस्सा की भूमि वादी के पक्ष में परित्याग कर चुका है तथा प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:25:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संख्या 1 ने अपनी हक रस्सी अन्य भूमि में प्राप्त कर ली है बाद पारिवारीक समझौता रोही मोजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 11 के कुल खसरे 64 का कुल क्षेत्रफल 13.3210 है0 भूमि पर वादी काबिज है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी स0 1 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादी स0 1 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 11 के कुल खसरे 64 का कुल क्षेत्रफल 13.3210 है0 भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गंढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:25:46 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 1198/2024
अनवान : –

1. अमरसिंह पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. रामसिंह उर्फ रामरख पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी फेफाना हाल मिठनपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1198 सन 2024 निर्णय दिनांक -01/01/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है रोही मोजा 5 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 11 के कुल खसरे 64 का कुल क्षेत्रफल 13.3210 है0 भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/01/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:25:46 IST
Reason: SelfAttested